प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 01.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना करते हुए यातायात माह नवम्बर का शुभारम्भ किया गया।

आज दिनांक 01.11.2023 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जनपद खीरी में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना करते हुए यातायात माह नवम्बर का शुभारम्भ किया गया। जिसमें जनपद खीरी के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों व एनसीसी कैडेट के द्वारा प्रतिभाग किया गया। यातायात माह का शुभारम्भ करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बताया गया कि भारतवर्ष में एक वर्ष में करीब 1.5 लाख लोग यातायात दुर्घटना में अपनी जान गवां देते हैं। यातयात माह मनाये जाने का मुख्य उद्देश्य प्रतिवर्ष होने वाली दुर्घटना में मृत्युदर को कम किया जाना है। कुशल यातायात संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा (4-E) कानसेप्ट का पालन किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया जहाँ पर सर्वप्रथम लोगों को यातायात नियमों के बारे में E-एजुकेट करना तथा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए यातायात संचालन में आने वाली E-इंजीनियरिंग सम्बन्धी समस्यों का निदान किया जाना तथा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध E-इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में चालान किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया, जिससे प्रभावी यातायात नियन्त्रण हो सके साथ ही साथ चौथे E-इन्वायरमेन्ट को भी यातायात नियन्त्रण में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में बताया गया। दुर्घटना में घायलों की गोल्डन ऑवर में मदद करते हुए शीघ्र हास्पिटल पहुंचाया जाये तथा प्राथमिक उपचार दिया जाये जिससे घायलों की मदद हो सके। दुर्घटना में कानूनी अड़चनों के कारण बहुत से लोग पहले घायलों की मदद करने से कतराते थे, इस विषय पर भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि दुर्घटना में घायलों की मदद करने में अब कोई विधिक अड़चन नही है ऐसे में दुर्घटना में घायलों की मदद करने में जनसामान्य को भी आगे आना चाहिए। दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्तियों को गुड सेमेरिटन के रूप में चुनाव किया जायेगा तथा ऐसे गुड सेमेरिटन का चुनाव करते हुए सरकार की योजना के तहत 5000/- रु का पुरुस्कार दिलाया जाये।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, हत्या के 07 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक थाना फूलबेहड़ के नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस टीम द्वारा अन्देशनगर तिराहे से मु0अ0सं0 540/2023 धारा 147/302/201/34 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित 07 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री वेद प्रकाश पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम बेलिहान थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध उक्त अभियोग दिनांक 29.10.2023 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र करन कुमार उम्र करीब 21 वर्ष की हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा अभियोग के सफल अनावरण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग – अलग टीमें गठित की गयीं थीं। आज दिनांक 01.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना फूलबेहड़ को मोबाइल पर सूचना मिली कि दिनांक 28/29.10.2023 की रात्रि में करन कुमार की हत्या करने के आरोपी 07 अभियुक्त इस समय अन्देशनगर तिराहे पर खड़े हैं तथा कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचकर 07 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों ने पूंछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है तथा बताया कि दिनांक 28/10/2023 की रात्रि में ग्राम बेलिहान में रामविलास के घर पर बर्थ डे पार्टी थी जिसमें मेरे साथी भवानी चौहान को दावत मिली थी। भवानी चौहान हम लोगों को साथ में दावत में ले गया था। बर्थ डे पार्टी मे डांस हो रहा था कि हम लोग स्टेज पर डांस करने के विवाद को लेकर हम लोगों से मृतक करन कुमार से कहासुनी व मारपीट हो गयी। गांव वालों ने हमे दौड़ा लिया तब हम लोग भागे। हमारे पीछे करन भी आ गया। गांव के बाहर करन को अकेला पाकर हम लोगों ने करन की डण्डे से पीटकर हत्या कर दिया। करन की लाश को उठाकर हम लोगो ने जुगुल किशोर के गन्ने के खेत मे छिपा दिया था। अभियुक्त अभिषेक कुमार यादव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद बाँस का डण्डा बरामद किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u>
1.हंसराज यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम गोपालापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी उम्र करीब 23 वर्ष ।
2.जयपाल गौतम पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम पिपरा मरोड़ा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी उम्र करीब 21 वर्ष ।
3.सन्नी कुमार गौतम पुत्र भीमराज निवासी ग्राम पिपरा मरोड़ा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी उम्र करीब 19 वर्ष ।
4.संदीप उर्फ प्रतीक कुमार पासी पुत्र संजय कुमार पासी निवासी ग्राम गोपालापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी उम्र करीब 20 वर्ष ।
5.अभिषेक कुमार यादव पुत्र नारद मुनि निवासी ग्राम बल्हवापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी उम्र करीब 20 वर्ष ।
6.अनूप राजभर पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम सैदीपुर खुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी उम्र करीब 24 वर्ष ।
7.शेरू कुमार उर्फ अरूण कुमार राजभर पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम सैदीपुर खुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी उम्र करीब 22 वर्ष ।

<u>बरामदगी का विवरण</u>
1.आलाकत्ल एक अदद बाँस का डण्डा

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
1.नि० राजू राव, प्रभारी निरीक्षक थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
2.उ0नि0 श्री मो0 अनीस, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
3.उ0नि0 श्री अंकुर कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
4.हे0का0 विजय प्रताप सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
5.हे0का0 अनिरूद्ध यादव, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
6.का0 विश्राम सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
7.का0 बलवीर सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त सुशील पुत्र राममूर्ति को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.11.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुशील पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बड़ी खांभी थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 542/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
सुशील पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बड़ी खांभी थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।

बरामदगी
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
1.उ0नि0 अंकुर कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
2.हे0का0 अंकित गंगवार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 06 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, ताश के पत्ते व 3460 रु० नगद बरामद</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.11.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा विभ्भिन स्थानों पर जुआ खेलते हुए 06 नफर अभियुक्तों 1.शिशुपाल पुत्र गौरीशंकर लुनिया उम्र 28 वर्ष 2.पृथ्वीपाल पुत्र ब्रहमादीन लुनिया उम्र 30 वर्ष 3.मलखान पुत्र रामरतन लुनिया उम्र 38 वर्ष सर्वनि0गण ग्राम रन्छौरपुर थाना फरधान जिला खीरी 4.सुनीत कुमार पुत्र रामगुलाम उम्र 26 वर्ष 5.पंकज कुमार पुत्र उत्तम कुमार उम्र 24 वर्ष 6.रामसरन पुत्र मनोहर लाल उम्र 30 वर्ष सर्वनि0गण ग्राम पिपरावा थाना फरधान जिला खीरी को हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते समय ताश के पत्ते व 3460 रु० नगद सहित पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना फरधान पर धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी- 3460 रु० नगद रूपये व ताश के पत्ते

थाना भीरा पुलिस द्वारा, हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ लल्लूराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.11.2023 को थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 549/2023 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ लल्लूराम निवासी ग्राम रुपनपुरवा थाना भीरा जनपद खीरी को बरमबाबा मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
विवेक कुमार उर्फ लल्लूराम निवासी ग्राम रुपनपुरवा थाना भीरा जनपद खीरी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>
1. थानाध्यक्ष निराला तिवारी,थाना भीरा
2. उ0नि0 मो0 जुबेर अहमद
3. हे0का0 वसीम हाशमी
4. का0 संजीव
5. म0आ0 निकिता राठौर

<u>थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त रामखेलावन पुत्र झाबुल को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध (प्रतिबंधित) चाकू बरामद कर अभियुक्त रामखेलावन पुत्र झाबुल नि0 टापरपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 441/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण</u>

1-थाना भीरा पलिस द्वारा, अ0सं0 3040/17 में वारंटी अभियुक्त अवनीश पुत्र स्व0 घनश्याम को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 138 लीटर अवैध शराब बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>138 लीटर अवैध कच्ची शराब व 05 शराब भट्ठी</u>** बरामद कर **<u>09 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>09 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।